



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092021-229452
CG-DL-E-06092021-229452

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943

No. 500]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 614(अ).—पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4 और धारा 29 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पेट्रोलियम नियमावली, 2002 में आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के निम्नलिखित मसौदे का प्रस्ताव, उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) द्वारा यथापेक्षित उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित करने के लिए, एतद्वारा प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों को शामिल करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, उक्त मसौदे पर विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (विपणन), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली-110107 को संबोधित किया जा सकता है या इसे jsm.png@nic.in ईमेल पर भेजा जा सकता है।

मसौदा नियम

1. इन नियमों को पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।
2. पेट्रोलियम नियम, 2002 में,-
 - (1) नियम 2 में, उप नियम (1) में,-

(क) खंड (xiv), के बाद निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा।

“(xivक) “भारी मशीनरी” से तात्पर्य हैवी ड्यूटी मशीनरी, निर्माण कार्य अथवा कृषि कार्य अथवा विशुद्धतः राजमार्ग के अलावा निर्माण कार्य करने के लिए विशेष रूप से रूपांकित अथवा सड़क नेटवर्क के अलावा परिसर, कारखाना, पत्तन अथवा खान के भीतर उपयोग हेतु रूपांकित और अपनाए गए ऐसे लिफ्टिंग उपस्कर वाहन से है जो अपनी ऊर्जा से सार्वजनिक सड़कों पर यात्रा के लिए सज्जित नहीं हो।

(xivख) “भारी वाहन” से तात्पर्य रबर टायर्ड या न्यूमेटिक टायर्ड या रबर पैडेड या स्टील ड्रम व्हील माउंटेड, स्वचालित अथवा किसी यांत्रिक रूप से चालित वाहन या उनका संयोजन से है जिसे विभिन्न क्षेत्र प्रचालनों के लिए उपयुक्त उपकरणों के साथ काम करने के लिए रूपांकित किया गया हो और/अथवा कृषि, निर्माण, खनन, औद्योगिक उपक्रम, सिंचाई और सामान्य निर्माण के क्षेत्र में राजमार्ग के अलावा प्रचालनों के लिए रूपांकित किया गया हो और जो “ऑन अथवा ऑफ” अथवा “ऑन और ऑफ” राजमार्ग क्षमताओं के साथ संशोधित और विनिर्मित और एक गैर-परिवहन, गैर-वाणिज्यिक वाहन हो, जो सार्वजनिक सड़क पर यात्रा करने के लिए सुसज्जित हो और जो समय-समय पर यथा-संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में यथा-परिभाषित है;”

(ख) खंड (xxvi) में शब्द “पेट्रोलियम” के बाद शब्द “आईएसओ टैंक कंटेनर सहित” अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड (xxvii) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

(xxviiक) “आईएसओ टैंक कंटेनर” से तात्पर्य एक ऐसे पेट्रोलियम फ्रेट कंटेनर से है जो आईएसओ टैंक कंटेनर ढांचे पर लगाया गया हो, जो ट्रिबलर लॉक द्वारा सुरक्षित हो, तरल पेट्रोलियम की ढुलाई के लिए उपयुक्त हो और जिसे परिवहन के इन रूपों के बीच इंटरचेंज सहित सड़क, रेल या समुद्र द्वारा परिवहन के लिए गुरुत्वाकर्षण अथवा दबाव निर्वहन द्वारा लोड या अनलोड किया जा सकता हो और जो मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकार किए गए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार रूपांकन, विनिर्देशनों और परीक्षण के अनुरूप हो;

(xxviiख) “आईएसओ टैंक कंटेनर फ्रेमवर्क” से तात्पर्य टैंक माउंटिंग्स, एंड स्ट्रक्चर और सभी लोड वाले तत्व हैं जो कार्गो रखने के प्रयोजनों के लिए मौजूद नहीं हैं, जो टैंक कंटेनर को उठाने, उसकी हैंडलिंग करने, सुरक्षित करने और एक पूरे टैंक कंटेनर के परिवहन से उत्पन्न स्थिर और गतिशील बलों को संचारित करते हैं और मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकार किए गए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन, विनिर्देशों और जांच के अनुरूप हैं;”

(घ) खंड (xxxiii) के बाद निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“(xxxiiiक) “तृतीय पक्षकार निरीक्षण एजेंसी” से तात्पर्य मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसे पेशेवर संगठन से है जो समय-समय पर यथा-संशोधित खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के तहत यथा-परिभाषित बड़े दुर्घटना खतरों वाले (एमएएच) परिसर का समय-समय पर निरीक्षण और सुरक्षा जांच करता है और जिसके पास सक्षम व्यक्तियों के लिए लागू योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति हैं;”

(2) नियम 4 में उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः;

“(4) इन नियमों में कुछ भी अनुसंधान और विकास के लिए पेट्रोलियम युक्त कंटेनरों के आयात के लिए लागू नहीं होगा बशर्ते इनकी पैकिंग समय-समय पर यथा-संशोधित अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) के खतरनाक सामान विनियमनों के अनुरूप हो।”;

(3) नियम 8 में, उप नियम (1) में “इस प्रकार मरम्मत किए जाने वाले” शब्दों को “अथवा टीपीआईए” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(4) नियम 13 में, -

(क) उप नियम (1) में “मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पक्ष में देय, नागपुर में देय अथवा ई-भुगतान के माध्यम से राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा,” शब्दों को “ई-भुगतान के माध्यम से अथवा गैर कर प्राप्ति पोर्टल माध्यम से” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप नियम (2) में “मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जिसे भुगतान किया जाना है, के पक्ष में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा। बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के नाम पर होगा और उस स्टेशन पर देय होगा जहां नियंत्रक, जिन्हें भुगतान किया जाना है, का कार्यालय स्थित है” शब्दों को “ई-भुगतान के माध्यम से अथवा गैर कर प्राप्ति पोर्टल माध्यम से” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(5) नियम 14 के बाद निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः:

“14(क) आईएसओ टैंक कंटेनरों के आयात और परिवहन पर प्रतिबंध- (1) कोई भी व्यक्ति मुख्य नियंत्रक की पूर्व अनुमति के बगैर पेट्रोलियम से भरे हुए अथवा भरे जाने के लिए किसी भी आईएसओ टैंक कंटेनर का आयात नहीं करेगा।

(2) उप-नियम (1) के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा-

(क) फॉर्म XV में जारी वैध लाइसेंस की एक प्रति जो आईएसओ टैंक कंटेनर की संपूर्ण सामग्री को समायोजित करने की पर्याप्त क्षमता के लिए हो;

(ख) विनिर्माता देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित आईएसओ टैंक कंटेनर के विनिर्माता के निरीक्षण और जांच रिपोर्टें;

(ग) विनिर्माता देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाइड्रोटेस्ट प्रमाण पत्र और कंटेनर सुरक्षा प्रमाण पत्र (सीएससी) सहित आवधिक निरीक्षण और जांच की एक प्रति;

(घ) विनिर्माता देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित आईएसओ टैंक कंटेनर के रूपांकन विवरण, टैंक की जल क्षमता, इसकी फिटिंग और इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के विनिर्देशनों का विवरण दर्शाने वाली रूपांकन ड्राइंग की दो प्रतियां;

(ङ.) आईएसओ टैंक कंटेनर के प्रचालन के लिए आयात के पत्तन की सहमति

(च) मुख्य नियंत्रक द्वारा विधिवत अनुमोदित सड़क द्वारा परिवहन के लिए अनुमोदित विस्तृत वाहन माउंटिंग ड्राइंग की तीन प्रतियां

(छ) आयात के पत्तन से अंतिम उपयोग के स्थान तक आईएसओ टैंक कंटेनर के प्रचालन और परिवहन के लिए सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया

(ज) पहली अनुसूची के भाग ग में यथा-विनिर्दिष्ट जांच शुल्क।”;

(6) नियम 19 में,-

(क) उप-नियम (1) में, खंड (क) में "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (1) में, खंड (ख) के बाद निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः:

"(ग) आईएसओ टैंक कंटेनर में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के मामले में नियम 14 (क) के तहत जारी आईएसओ टैंक कंटेनर मुख्य नियंत्रक की रूपांकन ड्राइंग का अनुमोदन;"

(7) अध्याय 2 में, भाग 3 के बाद निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा नामतः:

"भाग IV"

वायु मार्ग द्वारा आयात

27(क) वायु मार्ग से आयात पर प्रतिबंध: (1) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत हवाई अड्डों को छोड़कर वायु मार्ग से कोई पेट्रोलियम आयात नहीं किया जाएगा।

(2) अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन प्राधिकरण के नियमों या नागरिक उड्डयन के महानिदेशक द्वारा जिसकी अनुमति नहीं है, ऐसे किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद का आयात वायु मार्ग से नहीं किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो वायु मार्ग से पेट्रोलियम का आयात करना चाहता है, उसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से लैंडिंग परमिट प्राप्त करना होगा।

(4) पेट्रोलियम के आयात और भंडारण के लिए लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति या उसका प्राधिकृत एजेंट पेट्रोलियम को हवाई अड्डे पर लाने से पहले हवाई अड्डे के प्रभारी अधिकारी और सीमा शुल्क आयुक्त को आयात किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पाद का पूरा विवरण देते हुए घोषणा करेगा।

(5) आयातकर्ता द्वारा आयातित पेट्रोलियम की सीधी सुपुर्दगी लेने और उसे हवाई अड्डे से यथाशीघ्र हटाने की उचित व्यवस्था की जाएगी।

27(ख) वायु मार्ग से पेट्रोलियम का आयात करने से पहले घोषणा करनी होगी और प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्रस्तुत होगा- वायु मार्ग से पेट्रोलियम आयात करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को सीमा शुल्क आयुक्त निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा: -

(क) फॉर्म I में एक घोषणा जो उसके या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित हो;

(ख) उसके या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म II में भंडारण स्थल का प्रमाण पत्र;

(ग) ऐसे पेट्रोलियम के आयात और भंडारण के लिए रखे गए लाइसेंस की एक प्रमाणित प्रति;

(घ) पेट्रोलियम के वायु मार्ग से आयात किए जाने के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशक से लैंडिंग परमिट और;

(ङ.) वायु मार्ग से पेट्रोलियम के परिवहन के लिए संबंधित फ्लाइट ऑपरेटर से एक अनुमति पत्र;

बशर्ते कि इस नियम में कुछ भी अधिनियम की धारा 7, 8 और 9 के तहत छूट प्राप्त पेट्रोलियम के आयात पर लागू नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि अधिनियम की धारा 7 के तहत छूट प्राप्त मात्रा में थोक में पेट्रोलियम वर्ग ग के आयात के लिए खंड (ग) के तहत लाइसेंस प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

27(ग) पेट्रोलियम की अनलोडिंग के लिए सीमा शुल्क आयुक्त की अनुमति - (1) सीमा शुल्क आयुक्त की अनुमति के बिना कोई भी पेट्रोलियम अनलोड नहीं किया जाएगा।

(2) यदि सीमा शुल्क आयुक्त, निम्नलिखित प्राप्त करने के बाद: -

(क) पेट्रोलियम संबंधी जांच अधिकारी की रिपोर्ट;

(ख) फॉर्म II में प्रमाण पत्र, यदि नियम 27 (ख) द्वारा अपेक्षित है;

(ग) लाइसेंस, यदि नियम 27 (ख) द्वारा अपेक्षित हो तथा ऐसी और पूछताछ, जिसे वह आवश्यक समझता है, करने के बाद वह संतुष्ट हो कि पेट्रोलियम का वैध रूप से आयात किया जा सकता है और इसके भंडारण के लिए उपयुक्त स्थान है, वह इसे उतारने की अनुमति देगा;

(घ) यदि नियम 27 (ख) द्वारा अपेक्षित हो, नागरिक उड्डयन महानिदेशक से लैंडिंग परमिट,

(ङ.) हवाई मार्ग से पेट्रोलियम के परिवहन के लिए संबंधित उड़ान ऑपरेटर से अनुमति पत्र।

(3) यदि सीमा शुल्क आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि आयातित किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद का भारत में भंडारण करने का इरादा नहीं है, अपितु अनलोडिंग के तुरंत बाद भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भेजा जाना है, तो वह नियम 27 (ख) की अपेक्षाओं को छोड़ सकता है और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह विनिर्दिष्ट कर सकता है, उसके द्वारा लिखित आदेश परमिट द्वारा ऐसे पेट्रोलियम उत्पाद को उस स्थान पर तत्काल भेजने के उद्देश्य से अनलोड किया जाना चाहिए।

(4) इस नियम में कुछ भी अस्थायी तौर पर लागू किसी अन्य कानून या नियम के तहत पेट्रोलियम को रोके रखने की सीमा शुल्क आयुक्त की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।

(8) नियम 32 में,-

(क) शब्द "पोत" के बाद, शब्द "आईएसओ टैंक कंटेनर" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण में, "मुख्य नियंत्रक" शब्दों के बाद शब्द "अथवा टीपीआईए" अंतःस्थापित किया जाएगा।

(9) नियम 70 में, उप-नियम (1) में, खंड (iii) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"बशर्ते कि इस नियम के खंड (ii) और (iii) में कुछ भी समय-समय पर सड़क परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट बीएस-IV या उन्नत इंजन वाले वाहन पर लागू नहीं होगा;"

(10) नियम 75 में,-

(क) उप-नियम (1) में, "लाइसेंस" शब्द के बाद, शब्द "या अनुमति" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(3) आईएसओ टैंक कंटेनर की प्रत्येक खेप के लिए सड़क मार्ग से परिवहन के लिए मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक से अनुमति प्राप्त की जाएगी। ऐसी अनुमति जारी होने की तारीख से छह महीने के लिए वैध रहेगी;

(4) (क) उप-नियम (3) के तहत आईएसओ टैंक कंटेनर के लिए अनुमति की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा: -

(i) फॉर्म VII क में आवेदन,

(ii) पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट जांच शुल्क,

(ख) मुख्य नियंत्रक, उप-नियम (क) के तहत अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद तथा ऐसी और पूछताछ, जिसे वह आवश्यक समझता है, करने के बाद संतुष्ट होने पर कि वाहन इन नियमों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है, वह आवेदक को विधिवत पृष्ठांकित ड्राइंग की एक प्रति के साथ अनुमति जारी करेगा;

(11) नियम 76 में, उप-नियम (3) में, शब्दों और अंकों "(1934 का 22)" के बाद, "और इन नियमों के फॉर्म XIX के तहत लाइसेंस प्राप्त वाहनों द्वारा भारी वाहनों/मशीनरी/अचल उपकरणों में साइट पर ईंधन भरना" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(12) नियम 77 में, "पुनः जांच की गई" शब्दों के बाद, "एक सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(13) नियम 85 में, -

(क) उप-नियम (1) में, "सक्षम जिम्मेदार व्यक्ति" शब्दों को, "सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (4) के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(5) आईएसओ टैंक कंटेनर फ्रेमवर्क और/ अथवा आईएसओ टैंक कंटेनर की प्रत्येक मरम्मत के बाद फैब्रिकेशन कोड में निर्धारित तरीके से जांच की जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि टैंकों के निरीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन और पुनर्निर्माण के संबंध में यथा-लागू ओआईएसडी मानकों और/अथवा एपीआई मानकों का पालन किया जाएगा।

(14) नियम 89 में, उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(3) उप-नियम (2) के तहत ड्राइंग और शुल्क प्राप्त होने पर और ऐसी यथा-अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के बाद मुख्य नियंत्रक, यदि वह संतुष्ट हो, तो प्रस्तावित पाइपलाइन को उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी शर्तों के अधीन अनुमोदित करेगा";

(15) नियम 90 में, उप-नियम (1) में, शब्द "इस्पात" के बाद "अथवा मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपयुक्त सामग्री" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(16) नियम 93 में, उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(2क) पाइपलाइन की हाइड्रोस्टैटिक जांच एक सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए द्वारा की जाएगी।

(2ख) सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए उप-नियम (1) के तहत यथा-अपेक्षित जांच करेगा और एक प्रमाण पत्र जारी करेगा; इस प्रकार जारी किया गया प्रमाण पत्र मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत किया जाएगा।";

(17) नियम 98 में, "काटने या फिर से वेल्डिंग करने वाले" शब्दों को, "या हॉट वर्क" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(18) नियम 106 में,-

(क) उप नियम (1) में, "60079-II" अंकों के बाद "आईएस/आईसी 60079-26" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (2), खंड (i) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(i) आईएस/आईसी 60079-1, आईएस/आईसी 60079-2, आईएस/आईसी 60079-5, आईएस/आईसी 60079-6, आईएस/आईसी 60079-7, आईएस/आईसी 60079-11, आईएस/आईसी 60079-18 और मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष मानक के अनुरूप फ्लेमप्रूफ अथवा प्रेशराइज्ड टाइप अथवा पाउडर भरा अथवा तेल में डूबा हुआ अथवा बंदी हुई सुरक्षा या आंतरिक रूप से सुरक्षित या एनकैप्सुलेटेड उपकरण, अथवा";

(ग) उपनियम (3) में खंड (i) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(i) आईएस/आईईसी 60079-15 और मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित एक टाइप के अनुरूप गैर-स्पाकिंग उपकरण; अथवा”;

(घ) उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“(4) एक्स-इलेक्ट्रिकल अपरेचर्स का चयन आईएस 16724:2018/आईईसी60079-14 अथवा आईईसी 60079-14 अथवा मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किसी अन्य समकक्ष मानक में यथा-परिभाषित उपकरण सुरक्षा स्तर (ईपीएल) के अनुसार होगा।” ;

(19) नियम 107 में, उपखंड (5) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित जाएगा, नामतः -

“स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि फिक्स्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग के संबंध में, यथा-लागू ओआईएसडी मानकों का पालन किया जाएगा”

(20) नियम 108 में, उपखंड (5) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अर्थिंग और बॉन्डिंग के संबंध में यथा-लागू ओआईएसडी मानकों का पालन किया जाएगा।”

(21) नियम 114 में शब्द "व्यक्ति" को "इलेक्ट्रिकल/इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(22) नियम 117 में, उप-नियम (4) में, खंड (2) में, "ओआईएसडी मानक-117" शब्दों और अंकों के बाद "अथवा ओआईएसडी मानक-244" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा ; और "ओआईएसडी -117" शब्द और अंक के बाद "और ओआईएसडी -244" शब्द और अंक अंतःस्थापित किया जाएगा;

(23) नियम 118 के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि सुरक्षा प्रशिक्षण के संबंध में, यथा-लागू ओआईएसडी मानकों का पालन किया जाएगा।”

(24) नियम 120 में, उपखंड (5) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जल निकासी के संबंध में यथा-लागू ओआईएसडी मानकों का पालन किया जाएगा।”

(25) नियम 124 के उप-नियम (1) में "एपीआई:650" शब्दों एवं अंक के बाद "या एपीआई:620" शब्दों एवं अंक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(26) नियम 126 में, -

(क) उप-नियम (1) में, "सक्षम व्यक्ति" शब्दों के बाद "या टीपीआईए" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (3) में, "सक्षम व्यक्ति" शब्दों के बाद "या टीपीआईए" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (4) में, टैंक परीक्षण प्रमाण-पत्र के प्रारूप को निम्नलिखित प्रारूप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः, -

टैंक परीक्षण प्रमाण-पत्र का प्रारूप

[दिखें नियम 126]

टैंक की पहचान संख्या	व्यास (मीटर में)	ऊँचाई या लम्बाई (मीटर में)	विनिर्माण मानक	टैंक का प्रकार	परीक्षण की तिथि

उपर्युक्त टैंकों के सम्बन्ध में, अनुज्ञप्ति संख्या के अंतर्गत श्री/श्रीमती/सुश्री
 (संस्थापन/सर्विस स्टेशन, जैसी भी स्थिति हो, के अधिभोगी का पूरा नाम)
 ने (स्थान, थाने, जिला, राज्य का नाम) पर संस्थापन/सर्विस
 स्टेशन(जो लागू न हो उसे काट दीजिए) के भीतर संस्थापित किए हैं।

(अनुज्ञप्ति के संशोधित या टैंक की मरम्मत की दशा में भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 126 के अनुसरण में मैंने, उपर्युक्त वर्णित टैंकों का उनके संस्थापना एवं अंतिम रूप से सुरक्षित/मरम्मत किए जाने के पश्चात् अभिकल्प कूट में यथाविनिर्दिष्ट जल दबाव के माध्यम से परीक्षण किया है और इन्हें च्यवण-मुक्त एवं पेट्रोलियम भंडारण के लिए उपयुक्त पाया है। (जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें)

मैं/हम उद्घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए विवरणों की जाँच कर ली है और ये सही हैं। मैं/हम, परिसर में उपस्थित था/थे तथा पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के प्रावधानों एवं तत्सम्बन्धी बनाए गए नियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या नियमों के अनुसरण में ऊपर दिए गए विवरणों के अनुरूप उपर्युक्त टैंकों का परीक्षण किया है।

तिथि

.....
 प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए का पूर्ण हस्ताक्षर
 उसकी मान्यताप्राप्त अर्हता.....
 उसका पूरा नाम और पता.....

(घ) उप-नियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः,-

“(5) उप-नियम (1) में किए गए परीक्षणों के अलावा सर्विस स्टेशन में पेट्रोलियम के थोक भंडारण के लिए भंडारण टैंकों या अन्य पात्रों का परीक्षण सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए द्वारा प्रत्येक 7 वर्ष में एक बार जल दबाव के माध्यम से किया जाएगा।”;

(27) नियम 127 में उप-खण्ड (3) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः, -

“स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि यथाप्रयोज्य ओआईएसडी मानकों का अनुपालन किया जाएगा।”

(28) नियम 130 में, -

(क) उप-नियम (1) में, “सक्षम व्यक्ति” शब्दों के बाद “या टीपीआईए” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (1क) के बाद, सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र के प्रारूप में, “सक्षम व्यक्ति” शब्दों के बाद “या टीपीआईए” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (2) के खण्ड (i) में -

(i) “सक्षम व्यक्ति” शब्दों के बाद “या टीपीआईए” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः, -

“(ग) पाँच वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी और प्रदर्शन रिपोर्ट एवं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता-प्राप्त पंजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर प्रत्येक तीन वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा, जब तक सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए की मान्यता 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निरस्त हो जाएगी।”

(29) नियम 143 में,

(क) उप-नियम (2) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः, -

“(2) यांत्रिक रूप से चालित वाहनों में सड़क मार्ग से पेट्रोलियम के थोक परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए एक आवेदन प्रपत्र VII में होगा और वायुयानों, भारी वाहनों/मशीनरियों और यांत्रिक रूप से चालित वाहन द्वारा स्थिर

उपकरण यथा रिफ्यूलर के लिए ऑनसाइट ईंधन भरने के लिए पेट्रोलियम श्रेणी क/ख के थोक परिवहन के लिए प्रपत्र VIII होगा; बशर्ते ऐसा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मुख्य नियंत्रक द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने पर अनुज्ञप्ति प्रदान किया हुआ माना जाएगा।"

(ख) उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः, -

"(3) पेट्रोलियम के आयात और भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति सम्बन्धी एक आवेदन प्रपत्र IX में होगा और कंटेनरों में यांत्रिक रूप से चालित वाहनों से मिट्टी का तेल (पेट्रोलियम श्रेणी ख) खाली करने के लिए प्रपत्र X में होगा।"

(30) नियम 144 में,

(क) उप-नियम (5) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः, -

"(5) उप-नियम (1) के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निर्गत करने के लिए जिला प्राधिकारी जाँच पूर्ण करेगा और निम्नलिखित के अनुसार एनओसी निर्गत करने या अस्वीकृत करने, जैसा भी मामला हो, की कार्रवाई करेगा :-

- (i) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जाँच, उप-नियम (7) के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप के अनुसार जिला प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों की अवधि के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा, स्थल के आधार पर, जिला प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसी जाँच करने के लिए उन अधिकारियों को संदर्भित नहीं किया जाएगा जो संबंधित स्थल के लिए सुसंगत नहीं हैं।
- (ii) जिला प्राधिकारी और उससे संबंधित प्राधिकारियों के बीच सभी पत्राचारों की एक प्रति आवेदक को भेजा जाएगा जैसा कि प्रारूप के खंड (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (iii) यदि जिला प्राधिकारी द्वारा विशेष प्राधिकरण/एजेंसी से उक्त 60 दिनों की अवधि के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे विशेष प्राधिकरण/एजेंसी को उक्त आवेदन पर 'आपत्ति नहीं' है;
- (iv) उपर्युक्त 60 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद या संबंधित अधिकारियों से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर, जो भी पहले हो, जैसाकि उप-नियम (7) के अंतर्गत दिए गए प्रारूप के खंड (1) के अधीन जिला प्राधिकारी एनओसी निर्गत करने या अस्वीकृत करने की कार्रवाई, जैसा भी मामला हो, 30 दिनों की अवधि के भीतर पूरा करेगा; बशर्ते 30 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद जिला प्राधिकरण द्वारा एनओसी प्रदत्त समझा जाएगा यदि जिला प्राधिकारी को उक्त प्राधिकारियों से 'अनापत्ति' प्राप्त होता है।"

(ख) उप-नियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः,-

"(6क) उप-नियम (1) के अंतर्गत गैस सिलेंडर नियम, 2016 के अंतर्गत प्रपत्र "छ" में अनुज्ञप्ति प्राप्त सीएनजी स्टेशन का एक हिस्सा बनाने वाले प्रपत्र XIV में अनुज्ञप्ति या स्थिर और मोबाइल दबाव वेसल्स (यू) नियम, 2016 के अंतर्गत "एलएस-1ग" प्रपत्र में एलएनजी स्टेशन अनुज्ञप्ति के लिए जिला प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) उप-नियम (7) में, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए निम्नलिखित प्रारूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः, -

"प्रारूप"

अनापत्ति प्रमाण पत्र

[नियम 144 देखें]

संख्या.....

दिनांक.....

विषय: अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती/मैसर्स द्वारा प्रस्तुत आवेदन संख्या दिनांक के संदर्भ में और पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 144 के अनुसरण में श्री/श्रीमती/मैसर्स निवासी/पताको उनके परिसर, सर्वेक्षण संख्या/गाटा नंबर/खसरा नंबर प्लॉट नंबर..... ग्राम तालुका/तहसील

जिला राज्य , जैसा कि स्थल योजना में दर्शित किया है और इसके साथ संलग्न है, में पेट्रोलियम नियम, 2002 के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(1) इस अनापत्ति प्रमाण पत्र को निर्गत करते समय निम्नलिखित विवरणों पर विचार किया गया है -

(क) राजस्व विभाग से टिप्पणी कि उपर्युक्त स्थल आवेदक के वैध कब्जे में है और भू-स्वामी या पट्टा धारक से इन नियमों के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए परिसर के विकास करने का प्राधिकार प्राप्त है;

(ख) यातायात संबंधी भीड़भाड़ और यातायात पर प्रभाव के संबंध में पुलिस विभाग की टिप्पणियाँ;

(ग) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अनुरूप स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण की टिप्पणियाँ;

(घ) सड़क सुरक्षा, सड़क संरक्षण और सड़क तक पहुँच सुनिश्चित करने के संबंध में एनएचएआई/पीडब्ल्यूडी या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण की टिप्पणियाँ।

अपनी सरकारी मुहर के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले जिला प्राधिकारी (ऐसे नगर जहाँ एक पुलिस आयुक्त, आयुक्त या एक पुलिस उपायुक्त और किसी अन्य स्थान के लिए जिला मजिस्ट्रेट) के हस्ताक्षर

टिप्पण:- अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर विचार करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को उसके निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर स्वीकार करेगा।"

(31) नियम 146 के उप-नियम (2) में खण्ड (ii) को निम्नलिखित खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः, -

"(ii) प्रस्तावित परिवर्तन की जाँच के लिए पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट शुल्क।"

(32) नियम 148 के उप-नियम (9) में, "सहित" शब्द को "सिवाय" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(33) नियम 156 के उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः,-

"स्पष्टीकरण: इस खण्ड के प्रयोजनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी उक्त आवेदन की प्राप्ति होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय करेगा, ऐसा न करने पर, अनुज्ञप्ति को इस प्रकार स्थानांतरित हुआ माना जाएगा।"

(34) नियम 157 में :-

(क) उप-नियम (1) के परन्तुक के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः, -

"स्पष्टीकरण: - इस खण्ड के अंतर्गत अनुज्ञप्ति उक्त व्यक्ति जो ऐसा व्यवसाय चलाने वाले अनुज्ञप्तिधारक के पास शेष अनुज्ञप्ति अवधि के लिए स्वतः स्थानांतरित मानी जाएगी, बशर्ते इस तरह की घटना होने 1 वर्ष के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन किया गया हो जबकि उक्त अनुज्ञप्तिधारक की मृत्यु हो गई हो या वह दिवालिया हो गया हो या मानसिक रूप से असमर्थ हो या अन्यथा अक्षम हो।"

(ख) उप-नियम (2) और (3) का लोप किया जाएगा।";

(35) नियम 200 में, -

(क) उप-नियम (1) में, खण्ड (क) में, "फैक्स" शब्द के बाद, "या ईमेल या संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में, "संचार" शब्द के बाद, " बशर्ते कि मुख्य नियंत्रक या उसके प्रतिनिधि द्वारा ऐसा दौरा ऐसी दुर्घटना की सूचना की तिथि से सात दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा";

(36) पहली अनुसूची में :-

(क) भाग ख में, सक्षम व्यक्तियों को निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए संदेय शुल्क : -

(i) क्रम संख्या 5 में, "नियम के अंतर्गत" शब्दों के बाद, "8," अंक अंतःस्थापित जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 6 में, "नियम के अंतर्गत" शब्दों के बाद, "8," अंक अंतःस्थापित जाएंगे;

(ख) भाग ग के लिए, अनुज्ञप्ति शुल्क के अलावा अन्य शुल्क को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः, -

"भाग ग"

लाइसेंस शुल्क के अलावा अन्य शुल्क

क्रम संख्या	मर्दे	शुल्क (रुपए)	नियम
1	पेट्रोलियम श्रेणी क या श्रेणी ख के लिए कंटेनर के अनुमोदन के लिए	5000	4(2)
1 क	आईएसओ टैंक कंटेनर के आयात के लिए स्वीकृति	5000	14 (क)
2	बंदरगाह जिस पर पेट्रोलियम आयात किया जा सकता है	10000	16(4)(घ)
3	किसी भी स्थान पर किसी भी जहाज/बार्ज से थोक पेट्रोलियम की उतराई और लदवाई	6000	44(2)(घ)
4	(i) टैंक वाहन या ईंधन भरने वाले या सेफ्टी फिटिंग फैब्रिकेशन शॉप की स्वीकृति (ii) तीन साल के लिए फैब्रिकेशन शॉप का नवीनीकरण (iii) टैंक माउंटिंग ड्रॉइंग का अनुमोदन (iv) टैंक वाहन या ईंधन भरने वाले की सेफ्टी फिटिंग के डिजाइन का अनुमोदन	1500 1500 1000 2000	63(2)
4 ए	आईएसओ टैंक कंटेनर के परिवहन की अनुमति	5000	75(3)
5	पाइपलाइन के डिजाइन और रूट की स्वीकृति	5000	89(2)(ii)
6	पाइपलाइन में परिवर्धन और परिवर्तन	2000	97(2)(ख)
7	खतरनाक क्षेत्र में उपयोग के लिए वैद्युत उपकरण	2000	106(4)
8	(i) सक्षम व्यक्ति की पहचान (ii) सक्षम व्यक्ति की मान्यता का तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण	5000 3000	130(2)(i)
9	परिसर की विशिष्टताओं और योजनाओं का पूर्वानुमोदन	2000	131(1)(ख)
10	पेट्रोलियम श्रेणी 'ग' के भंडारण की पूर्व रिपोर्ट के लिए जाँच शुल्क	2000	140(ii)
11	परिवर्धन और परिवर्तन के लिए पूर्व स्वीकृति	2000	146 (2)(ii)
12	अनुज्ञप्ति का संशोधन	2000	147(2)
13	लाइसेंस का हस्तांतरण	2000	156(2)(iv)
14	मूल लाइसेंस के समाप्त न हुए भाग के लिए नया लाइसेंस	1000	157(3)
15	लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति	1000	158
16	लाइसेंस की अधिप्रमाणित प्रति	500	159(2)(क)
17	रिफाइनरी का अनुमोदन	15000	162(3)(ii)
18	रिफाइनरी में संशोधन	5000	164(2) (ii)
19	प्रपत्र VI में जांच के प्रमाणपत्र	2000	195(2)
20	निम्नलिखित की तुलना और निरीक्षण हेतु शुल्क - (1) परीक्षण उपकरण (2) मानक परीक्षण उपकरणों के साथ निजी स्वामित्व वाले परीक्षण उपकरणों की तुलना करना निम्न प्रकार से होगा: परीक्षण उपकरण बैरोमीटर थर्मोमीटर	1000 1500 1000 1000	196
21	पेट्रोलियम के प्रत्येक नमूने की जांच	1000	197"

(37) दूसरी अनुसूची में:-

(क) प्रपत्र I के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“प्रपत्र I

(देखें नियम 17 और 26)

बंदरगाह में प्रवेश करने से पहले समुद्री मार्ग से पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने वाले जहाज के मास्टर या एजेंट द्वारा या आयातक या उसके एजेंट द्वारा जमीनी या हवाई मार्ग से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने से पहले की जाने वाली घोषणा

1. जहाज/विमान का नाम
2. आवेदक का नाम
3. पिन कोड के साथ आवेदक का पूरा डाक पता
4. आवेदक का दूरभाष नंबर तथा ई-मेल

गाड़ी का ब्यौरा

पेट्रोलियम उत्पाद का नाम	जहाज या गाड़ी या विमान में कुल मात्रा	भारत में उतारने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा	अभ्युक्तियां
ए श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद जिनका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है			
अन्य ए श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद			
बी श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद			
सी श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद			

जहाज के मास्टर या एजेंट / या आयातक के हस्ताक्षर”

(ख) प्रपत्र II के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“प्रपत्र II

(देखें नियम 19 और 26)

भंडारण स्थल प्रमाणपत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं (जहाज का नाम या गाड़ी या विमान का विवरण) द्वारा (दिनांक, माह, वर्ष) को या उसके आस-पास आने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की निम्नलिखित खेप को (बंदरगाह का नाम या आयात स्थल या हवाई अड्डे का नाम) पर अथवा भंडारण टैंकों या शेड पर संग्रहीत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसका ब्यौरा कॉलम (1) की मद (i) और (ii) में दिया गया है और मैं प्रमाणित करता हूँ कि उक्त कॉलम की मद (iii) में दर्शायी गई यथा उपलब्ध तथा यथा उपलब्ध दर्शायी क्षमता संबंधित पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए विधिवत लाइसेंस प्राप्त है।

उस परिसर के संबंध में भंडारण लाइसेंस के ब्यौरे जहां आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की उताराई की जाएगी:-

को दिनांक तक नवीकृत/वैध किया जाता है

आयातक या उसके एजेंट के हस्ताक्षर

पूरा नाम पदनाम के साथ: _____

पत्राचार का पूरा पता: _____

दिनांक:

विवरण

आयात और भंडारण क्षमता का विवरण		ए श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद	बी श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद	सी श्रेणी पेट्रोलियम उत्पाद
क	(i) भंडारण टैंकों की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता			
	(ii) भंडारण टैंकों में उपलब्ध कुल क्षमता			
	(iii) मौजूदा खेप में उपयोग की जाने वाली क्षमता			
ख	(i) भंडारण शेडों की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता			
	(ii) भंडारण शेडों में उपलब्ध कुल क्षमता			
	(iii) मौजूदा खेप में उपयोग की जाने वाली क्षमता			

(ग) फॉर्म VII, भाग ख में, "मान्यताप्राप्त इंजीनियर" शब्दों के लिए, "सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(घ) फॉर्म VII के बाद, निम्नलिखित फॉर्म शामिल अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्रपत्र VII ए

[दिखें नियम 75(3)]

आईएसओ टैंक कंटेनर में सड़क मार्ग से थोक में ए श्रेणी अथवा बी श्रेणी के पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन की अनुमति के लिए आवेदन:

1. किस नाम से अनुमति अपेक्षित है

- आवेदक का पेशा
- आवेदक का पूरा डाक पता
- दूरभाष संख्या और ई-मेल

2. पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत प्रपत्र-XV में आवेदक के पास मौजूद भंडारण लाइसेंस के ब्यौरे:

- मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक द्वारा जारी भंडारण लाइसेंस की संख्या और तारीख
- कब तक नवीकृत/वैध
- उक्त लाइसेंस के अनुसार भंडारण किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की क्षमता व श्रेणी

3. आईएसओ टैंक कंटेनर का विवरण:

- आईएसओ टैंक कंटेनर का क्रमांक
- मॉडल संख्या

- iii. किस देश से उत्पाद आया है
- iv. अनुमोदनकर्ता देश का नाम
- v. डिजाइन अनुमोदन के लिए अधिकृत निकाय
- vi. आईएसओ टैंक कंटेनर और आईएसओ टैंक कंटेनर फॉर्मवर्क के विनिर्देश
- vii. किसके द्वारा विरचित
- viii. विनिर्माण का वर्ष
- ix. अनलेडन टेर मास
- x. आईएसओ टैंक कंटेनर की जल क्षमता
- xi. जांच और निरीक्षणकर्ता
- xii. प्रचालन प्राचलों सहित आईएसओ टैंक कंटेनर से जुड़े सुरक्षा जुड़नारों के विनिर्देश
- xiii. डिजाइन ड्राइंग
- xiv. माउंटिंग ड्राइंग
- xv. *किस से भरे _____
- xvi. (सही रसायनिक नाम और पेट्रोलियम उत्पाद की श्रेणी)
- xvii. आईएसओ टैंक कंटेनर में भरी गई अथवा भरी जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा किलोलीटर के साथ साथ प्रतिशत में
- xviii. पिछले हाइड्रॉलिक जांच की तारीख

4. आईएसओ टैंक कंटेनर माउंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइम मूवर का मेक और माडल

5. आयात बंदरगाह/लदान स्थल का नाम

6. लाइसेंस प्राप्त परिसर का स्थल जहां आईएसओ टैंक कंटेनर में पेट्रोलियम उत्पादों को उतारने का प्रस्ताव है

7. आयात के बंदरगाह से अंतिम उपयोग स्थल तक आईएसओ टैंक कंटेनर के संचालन और परिवहन के लिए सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया

8. आईएसओ टैंक कंटेनर के लोडिंग अनलोडिंग प्रचालन कार्यों सहित माउंटिंग/डिमाउंटिंग की निगरानी करने वाले तकनीकी व्यक्तियों का ब्यौरा

9. अभ्युक्तियां

मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरणों की मेरे/हमारे द्वारा जांच की गई है और वे सही हैं। मैं/हम पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और किसी भी अन्य कानून या नियमों के प्रावधानों के अनुसार टैंक वाहन/ट्रेलर में पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने का वचन देते हैं, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है। मैं/हम समझते हैं कि उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का कोई भी उल्लंघन होने पर पहले अपराध के लिए साधारण कारावास से दंडनीय है जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों लगाए जा सकते हैं तथा प्रत्येक बाद के अपराध के लिए साधारण कारावास जो तीन महीने तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों लगाए जा सकते हैं।

आवेदक के आवेदन पर हस्ताक्षर की तारीख

आवेदक का डाक पता:

इस आवेदन के साथ दो सेट में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की सूची

1. प्रथम अनुसूची के भाग ग में यथा निर्दिष्ट जांच शुल्क,

2. फॉर्म XV में जारी वैध लाइसेंस की एक प्रति जिसमें आईएसओ टैंक कंटेनर की संपूर्ण सामग्री को समायोजित करने की पर्याप्त क्षमता हो;
3. मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित आईएसओ टैंक कंटेनर के निर्माता की निरीक्षण और जांच रिपोर्टें;
4. मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाइड्रोटेस्ट सर्टिफिकेट और कंटेनर सेफ्टी सर्टिफिकेट (सीएससी) सहित आवधिक निरीक्षण और जांच की प्रति;
5. आईएसओ टैंक कंटेनर के डिजाइन ब्यौरे दर्शाने वाला डिजाइन ड्राइंग, टैंक की जल क्षमता, इसकी फिटिंग और इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के विनिर्देशों के ब्यौरे, जो मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित हों;
6. आईएसओ टैंक कंटेनर के संचालन के लिए आयात बंदरगाह से सहमति
7. मुख्य नियंत्रक द्वारा विधिवत अनुमोदित सड़क मार्ग से परिवहन के लिए अनुमोदित विस्तृत वाहन माउंटिंग ड्राइंग
8. आयात के बंदरगाह से अंतिम उपयोग के स्थल तक आईएसओ टैंक कंटेनर के संचालन और परिवहन के लिए सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया”;

(ड.) प्रपत्र VIII में; "भाग II" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भाग बी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और "मान्यताप्राप्त इंजीनियर" शब्दों के स्थान पर "सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(च) प्रपत्र XIV में, -

(i) शर्त 5 में, "एक अन्य टैंक" शब्दों के बाद, "लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी के अलावा" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ज) प्रपत्र XIX में, मद (बी) के स्थान पर, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(बी) भारी वाहनों/भारी मशीनों/स्टेशनरी उपकरणों की साइट पर ईंधन भरने के लिए श्रेणी बी पेट्रोलियम उत्पाद";

(i) प्रपत्र XX में, निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“प्रपत्र XX

[देखें नियम 2(v) और 130]

क. सक्षम व्यक्ति की योग्यता और अनुभव:

क्रम सं.	नियम जिसके तहत सक्षमता को मान्यता है	योग्यता और अन्य आवश्यकताएं	उद्देश्य के लिए अनुभव
1	नियम 8, 126 और 130	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में इंजीनियरिंग की डिग्री या समकक्ष व्यावसायिक योग्यता, 2. जांच और परीक्षण करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ	इंजीनियरिंग में डिग्री के लिए पेट्रोलियम टैंकों की जांच, निर्माण या स्थापना या निरीक्षण या पेट्रोलियम भंडारण प्रतिष्ठानों के प्रचालन और रखरखाव में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव
2	प्रपत्र VII और VIII के भाग बी	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा या समकक्ष व्यावसायिक योग्यता, 2. जांच और परीक्षण करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ	पेट्रोलियम परिवहन टैंकों के परीक्षण और निर्माण या माउंटिंग और पेट्रोलियम टैंक वाहनों के प्रचालन और रखरखाव में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव

3	नियम 93	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रासायनिक या यांत्रिक या धातु विज्ञान इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष व्यावसायिक योग्यता</p> <p>2. जांच और परीक्षण करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ</p>	<p>परीक्षण, निर्माण या स्थापना, पेट्रोलियम या तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों या प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के रखरखाव में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।</p>
---	---------	--	---

(38) तीसरी अनुसूची में:-

(क) क्रम संख्या 11 में, शब्द "किन्तु, 25 किलोलीटर और उससे अधिक क्षमता के टैंकों पर फ्यूसिबल वेंट उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे" छोड़ा जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 15 के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"16. आईएसओ टैंक कंटेनरों के लिए टैंक वाहन:

- (1) 1,000 लीटर से अधिक क्षमता के पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आईएसओ टैंक कंटेनर, संबद्ध पाइपिंग, फिटिंग और तरल पेट्रोलियम की ढुलाई के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क, जो मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन, विनिर्देशों और परीक्षण और मार्किंग के अनुरूप होगा।
- (2) आईएसओ टैंक कंटेनर फ्रेमवर्क, टैंक माउंटिंग्स, एंड स्ट्रक्चर और सभी लोड वाले तत्वों सहित जो कार्गो रखने के प्रयोजनों के लिए मौजूद नहीं हैं, जो टैंक कंटेनर को उठाने, उसकी हैंडलिंग करने, सुरक्षित करने और एक पूरे टैंक कंटेनर के परिवहन से उत्पन्न स्थिर और गतिशील बलों को संचारित करते हैं और मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकार किए गए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन, विनिर्देशों और जांच के अनुरूप हैं;" ।
- (3) पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए आईएसओ टैंक कंटेनर की क्षमता 7.5 किलोलीटर से अधिक नहीं होने पर कोई कम्पार्टमेंट या बैफल विभाजन की आवश्यकता नहीं है।
- (4) 7.5 किलो लीटर क्षमता से अधिक के आईएसओ टैंक कंटेनरों को बैफल विभाजन द्वारा कम्पार्टमेंटों में विभाजित किया जाएगा और किसी भी कम्पार्टमेंट की कुल क्षमता 7.5 किलोलीटर से अधिक नहीं होगी।
- (5) अधिकतम क्षमता आरटीओ द्वारा प्रमाणित सकल वाहन भार के अनुरूप प्रतिबंधित होगी।
- (6) ऐसे आईएसओ टैंक कंटेनर की अधिकतम क्षमता 26 किलो लीटर से अधिक नहीं होगी।
- (7) आईएसओ टैंक कंटेनर अगर 20% से अधिक लेकिन 80% से कम भरा हुआ है, तो उसे कैरिज के लिए तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि शेल को बैफल विभाजन या सर्ज प्लेट द्वारा 7.5 किलोलीटर क्षमता में विभाजित नहीं किया जाता है।

[फा. सं. एम/11011(21)/1/2021/-ओएमसी-पीएनजी]

डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, संयुक्त सचिव

नोट : भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 204(अ) दिनांक 13 मार्च, 2002 के माध्यम से प्रधान नियमावली प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 196(अ) दिनांक 17 मार्च, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, 2nd September, 2021

G.S.R. 614(E).—The following draft of certain rules further to amend the Petroleum Rules, 2002 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4 and sub-sections (2) and (3) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), is hereby published as required by sub-section (4) of section 29 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the draft rules are made available to the public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

The objections and suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Marketing), Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi-110001 or sent by email at: jsm.png@nic.in.

Draft Rules

1. These rules may be called the Petroleum (Amendment) Rules, 2021.

2. In the Petroleum Rules, 2002,-

(1) in rule 2, in sub-rule (1),-

(a) after clause (xiv), the following clause shall be inserted, namely:-

“(xiva) “Heavy machineries” means heavy-duty machineries, specially designed for executing construction or agricultural tasks or purely off-highway construction or lifting equipment vehicle designed and adopted for use within the premises, factory, port or mine other than road network, not equipped to travel on public roads on their own power;

(xivb) “Heavy vehicles” means rubber tyred or pneumatic tyred or rubber padded or steel drum wheel mounted, self-propelled or any mechanically propelled vehicles or combination thereof designed to work with suitable implements for various field operations and/or designed for off-highway operations in agricultural, construction, mining, industrial undertaking, irrigation and general construction, modified and manufactured with "on or off" or "on and off" highway capabilities and is a non-transport, non-commercial vehicle, or equipped to travel on public road and as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 as amended from time to time;”;

(b) in clause (xxvi), after the word “petroleum”, the words “including ISO Tank container” shall be inserted;

(c) after clause (xxvii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(xxviiia) “ISO Tank container” means a petroleum freight container, mounted on a ISO Tank container framework, secured by twister locks, suitable for carriage of liquid petroleum which may be loaded or unloaded by gravity or pressure discharge, for conveyance by road, rail or sea, including interchange between these forms of transport and conforms to design, specifications and testing, marking as per national or international standards accepted by the Chief Controller;

(xxviiib) “ISO Tank container framework” means tank mountings, end structure and all load bearing elements not present for the purposes of containing cargo, which transmit static and dynamic forces arising out of lifting, handling, securement and transporting of the tank container as a whole and conforms to design, specifications and testing as per national or international standards accepted by the Chief Controller;”;

(d) after clause (xxxiii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(xxxiiia) “Third Party Inspection Agency (TPIA)” means a professional organisation recognized by Chief Controller to carry out periodical inspection and safety audit of major accident hazards (MAH) premises as

defined under the Manufacture, Storage and Import of hazardous Chemicals Rules, 1989 as amended from time to time and having persons with qualifications and experience as applicable to the competent persons;”

(2) in rule 4, after the sub rule (3), the following shall be inserted namely;

"(4) Nothing in these rules shall apply for import of containers containing petroleum for research and development purpose provided that the packing conforms to International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations as amended from time to time.";

(3) in rule 8, in sub-rule (1), for the words “to have been so repaired”, the words “or TPIA” shall be substituted;

(4) in rule 13,-

(a) in sub-rule (1), for the words “by a crossed bank draft of a nationalised or scheduled bank drawn in favour of the Chief Controller of Explosives, payable at Nagpur or through e-payment”, the words “through e-payment or through Non Tax Receipt Portal” shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words “by a crossed bank draft drawn in favour of the Controller of Explosives to whom the payment is made. The bank draft shall be drawn on any nationalized or scheduled bank payable at the station where the office of the Controller to whom payment is to be made is located”, the words “through e-payment or through Non Tax Receipt Portal” shall be substituted;

(5) after rule 14, the following rule shall be inserted, namely:-

“14(A). **Restriction on import and transport of ISO tank containers-** (1) No person shall import any ISO tank container filled or intended to be filled with petroleum without prior approval of from Chief Controller.

(2) Any person seeking prior approval under sub-rule (1) shall submit to the Chief Controller-

(a) a copy of valid licence issued in Form XV having adequate capacity to accommodate whole contents of the ISO tank container;

(b) manufacturer’s inspection and test reports of the ISO tank container duly endorsed by the competent authority of the country of origin;

(c) a copy of periodic inspection and testing including hydrotest certificate and Container Safety Certificate (CSC) issued by competent authority of the country of origin;

(d) two copies of design drawing showing the design details of the ISO tank container, water capacity of the tank, its fittings and particulars of specifications of the materials used in construction thereof duly endorsed by competent authority of the country of origin;

(e) Consent from the Port of import for handling of ISO tank container

(f) three copies of approved detailed vehicle mounting drawing for transportation by road duly approved by the Chief Controller

(g) Safe operating procedure for handling and transportation of the ISO tank container from the port of import to the end use location

(h) Scrutiny fees as specified in Part C of the First Schedule.”;

(6) in rule 19,-

(a) in sub-rule (1), in clause (a), the word “and” shall be omitted;

(b) in sub-rule (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) Approval of design drawing of the ISO tank container Chief Controller issued under rule 14(A), in case of import and transport of petroleum in ISO tank container;”;

(7) In Chapter II, after Part III, the following Part shall be inserted namely;

“PART IV**IMPORTATION BY AIR**

27(A) **Restriction on import by air:** (1) No petroleum shall be imported by air except at the airports authorized for this purpose by the Central Government from time to time.

(2) Any petroleum not permitted by International Air Transport Authority regulations or by the Director General of Civil Aviation, shall not be imported by air.

(3) Any person intending to import petroleum by air shall obtain landing permit from the Director General of Civil Aviation.

(4) Any person holding a license for import and storage of petroleum or his authorized agent shall give declaration well in advance before bringing the petroleum into the airport to the Officer in charge of the airport and to the Commissioner of Customs giving full particulars of the petroleum intended to be imported.

(5) Proper arrangements shall be made by the importer to take direct delivery of the imported petroleum and remove the same as expeditiously as possible from the airport.

27(B) **Declaration and certificate to be furnished and licence to be produced before importing petroleum by air.** - Every person desiring to import petroleum by air shall furnish to the Commissioner of Customs:-

(a) a declaration in Form I signed by him or his agent;

(b) a certificate of storage accommodation in Form II signed by him or his agent;

(c) an authenticated copy of the licence held for the importation and storage of such petroleum;

(d) a landing permit from the Director General of Civil Aviation in case, of petroleum is imported by air and;

(e) a consent letter from respective flight operator for transportation of petroleum by air;

Provided that nothing in this rule shall apply to the importation of petroleum exempted under sections 7, 8 and 9 of the Act:

Provided further that the furnishing of licence under clause (c) shall not be necessary for the importation of petroleum class C, in bulk, in quantity exempted under section 7 of the Act.

27(C) **Permission of the Commissioner of Customs to unload petroleum.** - (1) No petroleum shall be unloaded except with the permission of the Commissioner of Customs.

(2) If the Commissioner of customs, after receiving:-

(a) the testing officer's report on the Petroleum;

(b) the certificate in Form II, if required by rule 27(B);

(c) the licence, if required by rule 27(B); and after making such further inquiries as he deems necessary, is satisfied that the petroleum can be lawfully imported and that there is suitable accommodation for it, he shall permit it to be unloaded;

(d) landing permit from the Director General of Civil Aviation, if required by rule 27(B),

(e) consent letter from respective flight operator for transportation of petroleum by air.

(3) If the Commissioner of Customs is satisfied that any petroleum imported is not intended to be stored in India but is intended to be dispatched immediately after unloading to any place outside India, he may waive the requirements of rules 27(B) and by written order permit, subject to such conditions as he may specify, such petroleum to be unloaded for the purpose of immediate dispatch to that place.

(4) Nothing in this rule shall affect the power of the Commissioner of Customs to detain petroleum under any other law or rule for the time being in force”.

(8) in rule 32,-

(a) after the word “vessel”, the words “, ISO tank container” shall be inserted;

(b) In the Explanation, after the words “Chief Controller” the words “or TPIA” shall be inserted.

(9) in **rule 70**, in sub-rule (1), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

“Provided that nothing in clause (ii) and (iii) of this rule shall apply to the vehicle with engines of type BS-IV or upgraded version as specified by Road Transport Authority from time to time;”;

(10) in rule 75,-

(a) in sub-rule (1), after the word “licence”, the words “or permission” shall be inserted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) Permission shall be obtained from Chief Controller/ Controller for transportation by road for every consignment of the ISO tank container. Such permission shall remain valid for six months from the date of issue;

(4) (a) Person desiring permission is for a ISO tank container under sub-rule (3) shall submit the following to the Chief Controller/ Controller:-

(i) Application in form VII A,

(ii) a scrutiny fee as specified in Part C of the First Schedule,

(b) The Chief Controller, after receipt of the documents under sub-rule (a) and after making such further inquiries as he deems necessary, is satisfied that the vehicle meets with the requirements laid down in these rules, he shall issue a permission to the applicant with one copy of drawing duly endorsed.”;

(11) in rule 76, in sub-rule (3), after the words and figures “(22 of 1934)”, the words and figures “and on site refuelling of heavy vehicles/machineries/stationary equipments by vehicles licensed under Form XIX of these rules” shall be inserted;

(12) In rule 77, after the words “re-tested“, the words “by a competent person or TPIA” shall be inserted;

(13) in rule 85, –

(a) in sub-rule (1), for the words “competent responsible person”, the words “competent person or TPIA” shall be substituted;

(b) after sub-rule (4), the following shall be inserted, namely:-

“(5) The ISO tank container framework and/ or the ISO tank container shall be tested after each repair in the manner laid down in the code of fabrication.

Explanation: For the purpose of this rule, it is clarified that with regard to inspection, repair, alteration & re-construction of tanks, the OISD Standards and/or API Standards, as applicable, shall be followed.”

(14) in rule 89, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) On receipt of the drawings and fee under sub-rule (2) and after eliciting such additional information as may be required, the Chief Controller shall, if he is satisfied, approve the proposed pipeline subject to such conditions as deemed fit.”;

(15) in rule 90, in sub-rule (1), after the word “steel”, the words “or any other suitable materials approved by the Chief Controller” shall be inserted;

(16) in rule 93, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2A) The hydrostatic testing of pipeline shall be carried out by a competent person or TPIA.

(2B) The competent person or TPIA shall carry out the test as required under sub-rule (1) and issue a certificate; the certificate so issued shall be submitted to the Chief Controller.”;

(17) in rule 98, for the words “involving cutting or re-welding”, the words “or hot work” shall be substituted;

(18) in rule 106,-

(a) in sub rule (1), after the figure “60079-II”, the words and figure “IS/IEC 60079-26” shall be inserted;

(b) in sub-rule (2), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) a flameproof or pressurised type or powder filled or oil immersed or increased safety or intrinsically safe or encapsulated apparatus conforming to IS/IEC 60079-1, IS/IEC 60079-2, IS/IEC 60079-5, IS/IEC 60079-6, IS/IEC 60079-7, IS/IEC 60079-11, IS/IEC 60079-18 and any other equivalent standard approved in writing by the Chief Controller, or”;

(c) in sub-rule (3) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) non-sparking apparatus conforming to IS/IEC 60079-15 and of a type approved in writing by the Chief Controller; or”;

(d) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4) The selection of Ex-Electrical Apparatus shall be as per equipment protection level (EPL) as defined in IS 16724:2018/IEC60079-14 or IEC 60079-14 or any other equivalent standard accepted in writing by the Chief Controller.”;

(19) in rule 107, after sub-clause (5), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation: For the purposes of this rule, it is clarified that with regard to the Fixed Electric wiring, the OISD Standards as applicable shall be followed.”

(20) in rule 108, after sub-clause (5) following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation: For the purposes of this rule, it is clarified that with regard to earthing and bonding, the OISD Standards as applicable shall be followed.”

(21) in rule 114, for the word “ person”, the words “electrical / instrumentation engineer” shall be substituted;

(22) in rule 117, in sub-rule (4), in clause (ii), after the words and figure “OISD Standard-117”, the words “or OISD Standard - 244” shall be inserted; and after the word and figure “OISD-117”, the word and figure “and OISD-244” shall be inserted;

(23) after rule 118, the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation: It is clarified that with regard to the safety training, the OISD Standards as applicable shall be followed.”

(24) in rule 120, after sub-clause (5), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation: For the purposes of this rule, it is clarified that with regard to drainage, the OISD Standards as applicable shall be followed.”

(25) in rule 124, in sub-rule(1), after the words and figure “API:650”, the words and figure “or API:620” shall be inserted;

(26) in rule 126,-

(a) in sub-rule (1), after the words “competent person”, the words “or TPIA” shall be inserted;

(b) in sub-rule (3), after the words “competent person”, the words “or TPIA” shall be inserted;

(c) in sub -rule(4), for the Proforma of Certificate of Tank Testing, the following Proforma shall be substituted, namely:-

“Proforma of Certificate of Tank Testing

[See Rule 126]

Tank identification No.	Diameter in meter	Height or length in meter	Construction standard	Type of tank	Test date

In respect of the above tanks, installed within the installation service station of (delete words not applicable) (full name of occupier of installation/service station as the case may be)..... at..... (Name of place, police Station, District State) covered by licence No.

(To be filled in the case of amendment of licence or repair of tank)

Certified that I have in accordance with rule 126 of the Petroleum Rules, 2002, tested the tanks described above by water pressure as specified in the design code after they had been installed and secured in the final position/repared and found them free from leak and suitable for the storage of Petroleum (delete words not applicable)

I/We declare that the particulars given above have been checked up by me/us and are correct. I/We, were present at the premises and tested the aforesaid tanks, particulars of which are given above, in accordance with the provisions of the Petroleum Act, 1934, and the rules framed there under and any other law or rules for the time being in force.

Date

Full signature of the competent person or TPIA issuing the certificate

.....

His recognized qualification.....

His full name and postal address

(d) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(5) Storage tanks or other receptacles for the storage of petroleum-in bulk, in a service station shall be tested by water pressure by a competent person or TPIA once in 7 years in addition to the tests carried out in sub-rule(1).”;

(27) in rule 127, after sub-clause (3), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation: For the purposes of this rule, it is clarified that the OISD Standards as applicable shall be followed.”

(28) in rule 130,-

(a) in sub-rule (1), after the words “competent person”, the words “ or TPIA” shall be inserted;

(b) after sub-rule (1b), in the Proforma Certificate of Safety, after the words “competent person”, the words “or TPIA” shall be inserted;

(c) in sub-rule (2), in clause(i):-

(i) after the words “competent person”, the words “ or TPIA” shall be inserted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) The recognition shall be granted for a period of five years and may be renewed for every three years based on the performance report and submission of the medical fitness certificate by a registered medical practioner recognized by Medical Council of India, till the competent person or TPIA attains the age of 65 years. The recognition of competent person or TPIA shall stand cancelled on attaining the age of 65 years.”

(29) In rule 143,-

(a) for sub-rule (2), the following clause shall be substituted, namely:-

“(2) An application for the grant of licence to transport petroleum in bulk by road in mechanically propelled vehicles shall be in Form VII and to transport petroleum Class A/B in bulk on land for onsite fuelling of aircrafts, heavy vehicles/ machineries and stationary equipments by a mechanically propelled vehicle viz. refueller shall be in Form VIII; provided that the license shall be deemed to have been granted if no decision is taken by the Chief Controller within 30 days of receipt of such an application”.

(b) after sub-rule (2), the following clause shall be inserted, namely:-

“(3) An Application for licence to import and store petroleum shall be in Form IX and to decant Kerosene (Petroleum Class B) from mechanically propelled vehicles in containers shall be in Form X.”

(30) In rule 144:-

(a) for sub-rule(5), the following shall be substituted, namely :-

“(5) The District Authority shall complete the enquiry for issuing NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) under sub –rule (1) and shall complete the action for issue or refusal of the NOC, as the case may be, in accordance with the following:

(i) The enquiry for issuing the NOC shall be completed in accordance with the Proforma as laid down under sub –rule (7) within a period of 60 days from the receipt of such application by the District Authority. Further, depending upon the site, the District Authority shall also ensure that the reference for making such enquiry is not sent to the authorities which are not relevant to the site concerned.

(ii) A copy of all the correspondences between the District Authority and authorities pertinent thereto; as prescribed under clause (1) of the said Proforma shall also be marked to the applicant;

(iii) If no response is received within the said period of 60 days from the particular authority/ agency by the District Authority, it shall be deemed that such particular authority / agency has ‘NO OBJECTION’ to the said application;

(iv) After the expiry of the aforesaid period of 60 days or upon receipt of the response from the authorities pertinent thereto as prescribed under clause (1) of the Proforma as laid down under sub –rule (7), whichever is earlier, the District Authority shall complete the action for issue or refusal of the NOC, as the case may be, within a period of 30 days; provided that the NOC by the District Authority shall be deemed to have been granted after the expiry of said period of 30 days if the District Authority has received the ‘NO OBJECTIONS’ from the said authorities.”

(b) after sub–rule (6), the following sub –rule shall be inserted, namely:

“(6a) There shall be no requirement of “No Objection Certificate” from District Authority under sub –rule (1) for a licence in Form XIV forming a part of the CNG station licensed in Form “G” under Gas Cylinder Rules , 2016 or LNG station licensed in Form “LS-1C” under Static and Mobile Pressure Vessels (U) Rules 2016.”

(c) In sub-rule(7), for the Proforma No Objection Certificate, the following Proforma shall be substituted, namely:-

**“Proforma
No Objection Certificate
[See rule 144]**

No.....

Date.....

Subject: No objection certificate

With reference to the application No.....datedsubmitted by.....and in pursuance of rule 144 of the Petroleum Rules, 2002, there is no objection for granting licence under the Petroleum Rules, 2002 to Shri/Smt./M/s. _____ address..... for storage of petroleum products in their premises at Survey No...../Gata No...../Khasra No.....PlotNo.....,Village.....Taluka/Tehsil.....District.....State... ..as shown in the site plan duly endorsed and enclosed herewith.

(1) The following particulars have been considered while issuing this no objection certificate, that-

(a) comments from the revenue department on the issue whether the possession of the site by the applicant is lawful and there is an authorisation from land owner or lease holder for developing premises under these rules for storage of petroleum products;

(b) comments from the police department regarding traffic density and impact on traffic;

(c) comments from the local area development authority regarding conformity of proposal to the local area development planning;

(d) comments from the NHAI/ PWD or any other authority concerned regarding road safety, road alignment and road access conformity.

Signature of the district authority issuing no objection certificate with his office seal (in towns having a Commissioner of Police, the Commissioner or a Deputy Commissioner of Police and for any other place the District Magistrate)

Note.- The licensing authority shall accept the no objection certificate within a period of three years from the date of its issue for considering grant of licence.”.

(31) in rule 146, in sub-rule (2), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) a fee as specified in Part C of the FIRST SCHEDULE for scrutiny of the proposed alteration.”

(32) in rule 148, in sub-rule (9), for the word “including”, the word “except” shall be substituted;

(33) in rule 156, after sub-rule (3), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation: For the purpose of this clause, it is clarified that the licensing authority shall decide upon the said application within 30 days of receipt, failing which, the license shall be deemed to have been so transferred.”

(34) in rule 157:-

(a) after proviso to sub-rule (1), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation:- Under this clause, the license shall be deemed to have been automatically transferred for the remaining license period to the said person carrying on the business of such licensee, subject to an application made by such person within 1 year of such event when the said licensee dies or becomes insolvent or mentally incapable or is otherwise disabled”.

(b) the sub-rules (2) and (3) shall be omitted.”;

(35) in rule 200,-

(a) in sub –rule (1), in clause(a), after the word “fax”, the words “or email or other electronic modes of communication” shall be inserted;

(b) in sub-rule (2), after the word “communication”, the words “; provided that such a visit by the Chief Controller or his representative shall be made within a period of seven days from the date of notice of such accident”;

(36) in the First Schedule:-

(a) in part B, Fee payable to competent persons for inspection, testing and certification:-

(i) in Sl. No.5 , after the words "Under rule ", the figures, "8, " shall be inserted;

(ii) in Sl. No.6 , after the words "Under rule ", the figures, "8, " shall be inserted;

(b) for part C, Fee other than licence fee, the following shall be substituted, namely:-

“Part C

Fee other than licence fee

Sl. No.	Items	Fee (Rs.)	Rule
1	For approval of container for petroleum class A or class B	5000	4(2)
1A	Approval for import of ISO tank container	5000	14(A)
2	Ports into which petroleum may be imported	10000	16(4)(d)
3	Loading and unloading of bulk petroleum from any ship/ barge at any place	6000	44(2)(d)
4	(i) Approval of tank vehicle or refueller or safety fitting fabrication shop	1500	63(2)
	(ii) Renewal of fabrication shop for three years	1500	

	(iii) Approval of tank mounting drawings	1000	
	(iv) Approval of design of safety fittings of tank vehicle or refueller	2000	
4A	Permission for transportation of ISO tank container	5000	75(3)
5	Approval of the design and route of the pipeline	5000	89(2)(ii)
6	Additions and alterations in the pipeline	2000	97(2)(b)
7	Electric apparatus for use in hazardous area	2000	106(4)
8	(i) Recognition of competent person	5000	130(2)(i)
	(ii) Renewal of recognition of competent person for three year	3000	
9	Prior approval of specifications and plans of premises	2000	131(1)(b)
10	Scrutiny Fee for prior report of storage of Petroleum Class C	2000	140(ii)
11	Prior approval for addition and alteration	2000	146 (2)(ii)
12	Amendment of licence	2000	147(2)
13	Transfer of licence	2000	156(2)(iv)
14	New licence for unexpired portion of original licence	1000	157(3)
15	Duplicate copy of licence	1000	158
16	Authenticated copy of the licence	500	159(2)(a)
17	Approval of refinery	15000	162(3)(ii)
18	Amendments in refinery	5000	164(2) (ii)
19	Certificate of tests in Form VI	2000	195(2)
20	Fee for inspection and comparison.-		196
	(1) Test apparatus	1000	
	(2) Comparing a privately owned test apparatus with the standard test apparatus shall be as follows :		
	Test apparatus	1500	
	Barometer	1000	
	Thermometer	1000	
21	Testing each sample of petroleum.	1000	197”

(37) in the Second Schedule:-

(a) for FORM I, the following shall be substituted, namely:-

“FORM I

(See rules 17 and 26)

Declaration to be made by the Master or agent of ship carrying petroleum by sea before entering port or by the importer or his agent before importing petroleum by land or by air

1. Name of ship / aircraft
2. Name of applicant.....
3. Applicant’s full postal address & pin code.....
4. Applicant’s telephone No(s) and email.....

PARTICULARS OF THE CARRIAGE

Name of Petroleum	Total quantity in the ship or carriage or aircraft	Quantity of petroleum to be landed in India	Remarks
Petroleum Class A which can be used in an internal combustion engine			
Other Petroleum Class A			
Petroleum Class B			
Petroleum Class C			

Signature of Master or agent of the ship / or importer”

(b) for FORM II, the following shall be substituted, namely:-

“FORM II

(See rules 19 and 26)

Certificate of Storage Accommodation

I hereby declare that I propose to store the following consignment of petroleum arriving per(name of ship or particulars of carriage or air craft) in(name of port or place of Import or name of airport) on or about(date, month, year) at the storage tanks or shed, particulars of which are given in item (i) and (ii) of col. (1) of the statement below and I certify that the capacity as shown as available and shown as available in item (iii) of the said column are duly licensed for the storage of petroleum in question.

Particulars of storage license for the premises wherein the imported petroleum shall be unloaded:-

Renewed / valid up to _____

Signature of importer or his agent

Name in full with designation: _____

Complete Correspondence
Address: _____

Dated the

Statement

Description of Import and storage capacity		Petroleum Class A	Petroleum Class B	Petroleum Class C
A	(i) Total licensed capacity of storage tanks			
	(ii) Total capacity available in storage tanks.			
	(iii) Capacity to be utilized by present consignment			
B	(i) Total licensed capacity of storage sheds.			
	(ii) Total capacity available in storage sheds.			
	(iii) Capacity to be utilized by present consignment”			

(c) in Form VII, Part B, for the words “recognized engineer”, the words “competent person or TPIA” shall be substituted.

(d) after Form VII, the following form shall be inserted, namely:-

“FORM VII A

[See rules 75(3)]

Application for the grant of permission to transport Petroleum Class A or Class B in bulk by road in ISOtank container:

1. Name in which permission is required
 - i. Applicant’s calling
 - ii. Applicant’s full postal address
 - iii. Telephone No(s) and E-mail
2. Particulars of storage licence held by the applicant in form-XV under Petroleum Rules2002:
 - (i) Number and date of storage licence issued by the Chief Controller/Controller
 - (ii) Renewed/valid up to
 - (iii) Capacity and class of the petroleum of storage as per above licence
3. Description of the ISO tank container:
 - i. Serial Number of ISO tank container
 - ii. Model Number
 - iii. Country of Origin
 - iv. Approval Country
 - v. Authorized body for design approval
 - vi. Specification of ISO tank container and ISO tank container framework
 - vii. Fabricated by
 - viii. Year of manufacture
 - ix. Unladen tare mass
 - x. Water capacity of the ISO Tank container
 - xi. Inspected and tested by
 - xii. Specification of the safety fittings fitted to the ISO tank container including operating parameters
 - xiii. Design drawing
 - xiv. Mounting drawing
 - xv. *Filled with _____
 - xvi. (True chemical name and class of petroleum)
 - xvii. Quantity of Petroleum filled or intended to be filled in the ISO tank container in Kilolitre and also in Percentage.
 - xviii. Date of last hydraulic test
4. Make and Model of the Prime Mover to be used for ISO tank container mounting

5. Name of the port of import / place of loading

6. Location of the licenced premises where the petroleum in ISO tank container is proposed to be unloaded

7. Safe operating procedure for handling and transportation of the ISO tank container from the port of import to the end use location

8. Details of the technical persons supervising the mounting / demounting including loading unloading operations of the ISO tank container

9. Remarks

I/We declare that the particulars given above have been checked up by me/us and are correct. I/We undertake of transport petroleum in the tank vehicle/trailer, particulars of which are given above, in accordance with the provisions of the petroleum Act, 1934, and the rules framed there under and any other law or rules for the time being in force. I/We understand that any contravention of the said Act and the Rules framed thereunder is punishable for the first offence with simple imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both and for every subsequent offence with simple imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

Date of application Signature of applicant

Postal address of the applicant

Documents required to be submitted with this Application in two sets

1. a scrutiny fee as specified in Part C of the First Schedule,
2. a copy of valid licence issued in Form XV having adequate capacity to accommodate whole contents of the ISO tank container;
3. manufacturer's inspection and test reports of the ISO tank container duly endorsed by the competent authority of the country of origin;
4. a copy of periodic inspection and testing including hydrotest certificate and Container Safety Certificate (CSC) issued by competent authority of the country of origin;
5. design drawing showing the design details of the ISO tank container, water capacity of the tank, its fittings and particulars of specifications of the materials used in construction thereof duly endorsed by competent authority of the country of origin;
6. Consent from the Port of import for handling of ISO tank container
7. approved detailed vehicle mounting drawing for transportation by road duly approved by the Chief Controller
8. Safe operating procedure for handling and transportation of the ISO tank container from the port of import to the end use location.”;

(e) In Form VIII; for the words and figures “PART II”, the words “Part B” shall be substituted; and for the words “recognized engineer”, the words “competent person or TPIA” shall be substituted.

(f) in Form XIV,-

(i) in condition 5, after the words " another tank ", the words and figures, " except with the previous sanction in writing of the licensing authority " shall be inserted;

(h) in Form XIX, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-

“(b) PETROLEUM CLASS B FOR ON SITE REFUELLING OF HEAVY VEHICLES/HEAVY MACHINERIES/STATIONARY EQUIPMENTS.”;

(i) for the Form XX, the following form shall be substituted, namely:-

“FORM XX

[See rules 2(v) and 130]

A. Qualification and Experience of Competent Person:

Sr. No.	Rule under which competency is recognized	Qualification and other requirements	Experience for the Purpose
1	Rules 8, 126 and 130	1. Degree in any branch of engineering from a recognized university or equivalent professional qualifications, 2. Physically fit and mentally sound for carrying out tests and examination	Minimum experience of 5 years in testing, fabrication or installation or inspection of petroleum tanks or operation and maintenance of petroleum storage installations for degree in engineering
2	Part B of Forms VII and VIII	1. Degree or diploma in any branch of engineering from a recognized university or equivalent professional qualifications, 2. Physically fit and mentally sound for carrying out tests and examination	Minimum experience of 5 years in testing & fabrication or mounting of petroleum transport tanks and operation and maintenance of petroleum tank vehicles
3	Rule 93	1. Degree in chemical or Mechanical or Metallurgy engineering from a recognized university or equivalent professional qualifications 2. Physically fit and mentally sound for carrying out tests and examination.	Minimum experience of 5 years in testing, fabrication or installation, maintenance of petroleum or liquefied petroleum gases or Natural Gas pipelines.”

(38) in the Third Schedule:-

(a) in Sl. No. 11, the words “, but, fusible vents shall not be provided on tanks of capacity 25 Kilolitres and above” shall be omitted;

(b) after Sl. No. 15 the following shall be inserted, namely:-

“16. Tank vehicle for ISO tank containers:

(1) ISO Tank container for petroleum exceeding 1,000 litres in capacity, associated piping, fittings and the framework suitable for carriage of liquid petroleum shall conform to design, specifications and testing and marking as per national or international standards accepted by the Chief Controller.

(2) ISO Tank container framework including the ISO tank mountings, end structure and all load bearing elements not present for the purposes of containing cargo, which transmit static and dynamic forces arising out of lifting, handling, securing and transporting of the ISO tank container as a whole and conforms to design, specifications and testing as per national or international standards accepted by the Chief Controller.

(3) No compartment or baffle partition is necessary if the capacity of the ISO Tank container for transportation of petroleum is not exceeding 7.5 kiloliters

(4) ISO Tank containers exceeding 7.5 kilo liters capacity, shall be divided into compartments by baffle partitions and no compartment shall have net capacity exceeding 7.5 kiloliters.

- (5) The maximum capacity shall be restricted corresponding to gross vehicle weight certified by RTO
- (6) The maximum capacity of such ISO tank container shall not exceed 26 kilo litres
- (7) The ISO tank container if filled above 20% but less than 80%, shall not be offered for carriage unless the shell is divided into 7.5 kilolitres capacity by baffle partition or surge plate.

[F. No. M/11011(21)/1/2021/-OMC-PNG]

Dr. NAVNEET MOHAN KOTHARI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 204(E), dated the 13th March, 2002 and last amended *vide* notification number G.S.R. 196(E), dated the 17th March, 2021.